जयराम बनाम बृजलाल

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-11-20	वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस हेतु पत्रावली दि. 4-12-20 को पेश हो।	
4-12-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-1-2021 को पेश हो। रीडर	
8-1-2021	वकील उभयपक्ष उप०। न.ज. प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:29 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
37/2017	11.9.2017	8.1.2021

जयराम पुत्र टुण्डा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1.बृजलाल पुत्र टुण्डा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2.उगन्ती पत्नी किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3.रमेश पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
4.सुरेश पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
5.मुकेश पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
6.कालीचरण पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
7.मुरारी पुत्र सुखजी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
8.पांची बेवा सुखजी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
9.दुर्गालाल पुत्र हरिया, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
10.रामचरण पुत्र श्रीचन्द, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
11.रामप्रसाद पुत्र पांच्य, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
12.लच्छी पुत्र पांच्या, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
13.मदन मोहन पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
14.राजू पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
15.सोनू पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
16.गोपाल पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
17.लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री प्रेम प्रकाश जोशी , एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 216 रकबा 0.03 है0 ग्राम महूकलां में स्थित है। यह भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। इस भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य बंटवारा हो चुका है। भूमि ख0नं0 216 प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 लगायत 6 के हिस्से में आया है। अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 16 को इसके एवज में अन्य भूमि दे दी गई है किंतु राजस्व अभिलेख में भूमि का विभाजन नहीं होने के कारण भूमि में प्रार्थी संख्या 2 लगायत 17 का नाम भी अंकित है। उक्त भूमि को प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 लगायत 6 ने मौके पर बांट रखा है एवं बंटवारे के अनुसार ही अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति का इस भूमि को कोई वास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी है एवं उसने अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 को भी अपने साथ मिलाया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:29 IST
Reason: SelfAttested

उप कलेक्टर
गंगापुर सिटी

दिनांक 15.5.2015 को जब प्रार्थी ने अपने हिस्से में आई भूमि पर निर्माण करने के आशय से निर्माण सामग्री डलवाई व नींव खुदवाई तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 मौके पर आ गए एवं प्रार्थी को निर्माण करने से रोकने लगे, मारपीट करने पर आमादा हो गए तथा प्रार्थी को निर्माण नहीं करने दिया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने इनके विरूद्ध सिविल न्यायालय में वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा यह विधिक आपत्ती की गई कि प्रार्थी को विभाजन का दावा प्रस्तुत करना चाहिए था। उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 4.4.2001 को रू0 75000/- प्रतिफल के बदले टुण्डा से क्रय किए जाने का कथन किया। इस विधिक आपत्ती को देखते हुए प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है जिस पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 15.1.2017 को प्रार्थी जब पुनः भूमि की सार संभाल कर रहा था तो अप्रार्थीगण एकराय होकर आ गए एवं प्रार्थी को धमकी दी व भूमि से चले जाने को कहा, भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के कार्य व व्यवहार से स्पष्ट है कि वे प्रार्थी को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में कोई हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पत्र इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि ख0नं0 216 रकबा 0.03 है0 ग्राम महूकलां के उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें व बिना विभाजन भूमि का विक्रय नहीं करें व ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे प्रार्थी को इस भूमि के उपयोग उपभोग में परेशानी का सामना करना पडे व मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 216 के किसी भी भू-भाग से प्रार्थी का सम्बन्ध नहीं है। जब पूर्व बंटवारा हो चुका है तो उसके बाद बंटवारे का दावा पोषणीय नहीं है। बंटवारे का वाद सम्पूर्ण भूमि के लिए ही किया जा सकता है, आंशिक भूमि के बंटवारे का वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने सिविल न्यायालय में गलत तथ्यों पर वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तु[illegible] था जिसमें सही तथ्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए। सिविल न्यायालय के आदेशानुसार कमिश्नर द्वारा भूमि का मौका देखा गया [illegible] नहीं पाया गया इस कारण सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 12.8.2015 [illegible] प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। प्रार्थी ने इस मामले में इस तथ्य को छिपाया है। जबाब के विशेष विवरण में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थी ने मात्र 3 एयर भूमि के विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:29 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर

जिसका बंटवारा सम्भव नहीं है। पक्षकारों के बुजुर्ग टुण्डा के हिस्से में भूमि ख0नं0 216 रकबा 3 एयर, ख0नं0 242 रकबा 35 एयर, ख0नं0 214 रकबा 2 एयर आई है। बंटवारे के बाद यह भूमि स्व0 टुण्डा की स्वअर्जित भूमि हो चुकी है। इस भूमि का साबिक ख0नं0 147/6 रहा है। इस सारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ नक्शा बनाकर स्व0 टुण्डा ने अपने जीवनकाल में कुल 17 भूखण्ड बनाए जिनमें भूखण्ड संख्या 16 व 17 हरिया के हिस्से में दक्षिण में पडते हैं। भूखण्ड संख्या 17 80 वाई 42 फीट का है जो वादग्रस्त भूखण्ड है। स्व0 टुण्डा ने 12 भूखण्ड अपने जीवनकाल में विक्रय कर दिए, तीन भूखण्ड तीनों भाई बृजलाल, किशनलाल व जयराम को दे दिए जिनमें इन तीनों ने अपने अपने पुख्ता मकान बना रखे हैं। प्रार्थी ने वादपत्र के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है वह गलत है। इस नक्शे में बतलाए अनुसार मौके पर 6 भूखण्ड न होकर एक ही भूखण्ड है जिसे दादा की बाडी के नाम से जानते हैं। इस भूखण्ड हो स्व0 टूण्डा ने अप्रार्थी नं0 1 को दिनांक 4.4.2001 को रू0 75000/— में विक्रय कर स्टाम्प पर लिखा पढी कर दी। तभी से अप्रार्थी संख्या 1 का इस भूखण्ड पर कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 इस पर निर्माण करना चाह रहाथा जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 ने 3 ट्रोली बजरी व 4 ट्रोली पत्थर एक ट्रोली गिट्टियां डलवा लिए व पश्चिम की ओर नींव खोद ली। चूंकि भूखण्ड की कीमत बढ गई है इस कारण से प्रार्थी की नियत में बेईमानी आ गई और उसने निर्माण नहीं करने दिया। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 पेश की है।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के समर्थन में फोटोकोपी नकल निर्णय दिनांक 12.8.2015 प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है यह बात प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा करवाई गई कमिश्नर रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुकी है एवं इस आधार पर प्रार्थी का सिविल न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज हो [illegible] है। कब्जे के अभाव में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 के अनुसार भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:29 IST
Reason: SelfAttested

ख0नं0 216 रकबा 0.03 है0 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी ने सिविल न्यायालय में भी वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए थे । सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी जिसमें मौका कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं पाया गया एवं इसी कारण सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर मौके पर काबिज नहीं है तथा उभयपक्ष के अनुसार उनके मध्य भूमि का पूर्व में ही विभाजन भी हो चुका है। इस प्रकार् प्रथम दृष्टया केस, सुविधा सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 8.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:29 IST
Reason: SelfAttested